गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.12.2022 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.12.2022 को प्रातः 11:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:—

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
3.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
4.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
5.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
6.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
7.	डॉ0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
8.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
9.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
10.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
11.	डॉ0 आर.के. चौबे	सदस्य
12.	डॉ0 एस.के. प्रजापति	सदस्य
13.	डॉ0 बी.आर. रावटे	सदस्य
14.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :—

1. प्रो0 पी.के. बाजपेयी
2. प्रो0 एस.एस. सिंह
3. प्रो0 अशोक कुमर मिश्रा

स्थायी समिति के बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय ने नव नियुक्त अधिष्ठाता/सदस्यों का स्वागत किया एवं विश्वविद्यालय के निरंतर प्रगति हेतु सतत प्रयास करने का आह्वान किया। तदोपरान्त विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :—

विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.12.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.12.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 08.12.2022 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की।

विषय क्र. 03 मास मीडिया और एमओओसी लैब की आउट सोर्सिंग के लिए प्रस्ताव।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि मास मीडिया और एमओओसी लैब की आउट सोर्सिंग के लिए प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 04 **संगणक विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि संगणक विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्ययनं मण्डल द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संगणक विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप है।

विषय क्र. 05 **अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 13.12.2022 के कार्यवृत्त पर विचार एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि हेतु।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 13.12.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाय एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि दो समानान्तर उपाधि अध्ययन संबंधी नीति प्रारूपण समिति में वरिष्ठ शिक्षकों को भी शामिल किया जाय। शिक्षकों के नाम नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र. 06 **कुलपति महोदय के विवेकाधीन अतिरिक्त सीट सृजन संबंधी कार्यवाही की सूचना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने कुलपति महोदय के विवेकाधीन अतिरिक्त सीट सृजन संबंधी कार्यवाही की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

दो अतिरिक्त सीट का निर्धारण एक कक्षा के लिए की गई है। अतः स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि किसी शैक्षणिक कार्यक्रम में यदि कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होती है, तो आनुपातिक रूप से दो–दो सीटें कक्षावार बढ़ायी जा सकती है।

विषय क्र. 07 **विकास विभाग एवं शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर भारत सरकार के विभिन्न फंडिंग एजेंसियों में प्रेषित प्रस्ताव एवं अन्य एजेंसियों में प्रेषित प्रस्ताव जो अद्यतन प्रक्रियाधीन/विचाराधीन है, पर विचार करने विषयक।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने विकास विभाग एवं शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर भारत सरकार के विभिन्न फंडिंग एजेंसियों में प्रेषित प्रस्ताव एवं अन्य एजेंसियों में प्रेषित प्रस्ताव की सूचना ग्रहण की तथा यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के प्रस्तावों पर फंडिंग एजेंसियों द्वारा शीघ्र कार्यवाही कराये जाने के लिए सतत रूप से सम्पर्क साधनें प्रतिनिधि नियुक्त किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त प्रतिनिधि को नियुक्त किये जाने के लिए कुलपति महोदय विश्वविद्यालय की ओर से अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र. 08 **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में नया पाठयक्रम हिन्दू स्टडीज प्रारंभ करने हेतु प्रारूप प्रस्ताव पर विचार।**

विषय में उल्लेखित नया पाठ्यक्रम के स्थान पर नया विभाग पढ़ते हुए विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव के कार्यान्वयन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्ताव यथाशीघ्र शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित किया जाय।

16/12/2022

16/12/22

विषय क्र. 09 शैक्षणिक पदो पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के दौरान अंक निर्धारण के संबंध में।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि शैक्षणिक पदो पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के दौरान अंक निर्धारण हेतु प्रारूपण समिति से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 09.12.2022 का अनुमोदन किया जाय एवं लागू कराया जाय।

विषय क्र. 10 एन.ई.पी. 2020 के अन्तर्गत बी.टेक कार्यक्रमों हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि एन.ई.पी. 2020 के अन्तर्गत बी.टेक कार्यक्रमों हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्राप्त प्रस्ताव एवं अंक योजना अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

विषय क्र. 11 गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन, भारत सरकार के बीच विश्वविद्यालय परिसर में नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु समझौता ज्ञापन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन, भारत सरकार के बीच विश्वविद्यालय परिसर में नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 12 गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय निदेशालय, रा.से.यो., भोपाल (म.प्र.) के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय निदेशालय, रा.से.यो., भोपाल (म.प्र.) के बीच समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र. 01 गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं युवा कार्यक्रम एवं राज्यस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) के बीच समझौता ज्ञापन संबंधी प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

अ.अ.वि.क्र. 02 कला विद्यापीठ के माध्यम से फ्रेंच भाषा को एक जैनरिक इलेक्टिव (जीई) विषय के रूप में विद्यार्थियों को अध्ययन कराने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इसका कियान्वयन सी.बी.सी.एस. कियान्वयन के नोडल अधिकारी के माध्यम से किया जाय।

अ.अ.वि.क्र. 03 कला विद्यापीठ के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव जिसमें संस्कृत भाषा एवं साहित्य को जैनरिक इलेक्टिव (जीई) के रूप में विद्यार्थियों को अध्ययन कराने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए यह निर्णिय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

16/12/2022

16/12/22

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इसका कियान्वयन सी.बी.सी.एस. कियान्वयन के नोडल अधिकारी के माध्यम से किया जाय।

अ.अ.वि.क्र. 04 अकादमी शाखा द्वारा विश्वविद्यालय शोध विनियम 2022 का प्रारूप स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह प्रारूप विश्वविद्यालय ज्ञाप क्रमांक 713/अका/शोध विनियम समिति/2022 दिनांक 29.11.2022 के माध्यम से गठित समिति के द्वारा प्रारूपित किया गया है। प्रस्तुत प्रारूप एवं शुल्क संरचना पर चर्चा करते हुए स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि बैठक में चर्चानुसार प्रस्तावित संशोधनों को शामिल करते हुए प्रस्तुत प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

16/12/22 16/12/2022

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**